ालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉं जिलाबून्दी(राज0)

पत्र संख्या :–49 / 2021 दायर दिनांक: 18.06.2021

MS NO:- 2021/103

पीठासीन अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस.)

सीमा पत्नी आशाराम जाति मीणा निवासी ग्राम बंजारी बावडी तहसील नैनवां जिला बून्दी हाल निवासी ग्राम धारोला तहसील उनियारा जिला टोंक।

–प्रार्थिया

बनाम

1. रामसहाय पुत्र बद्रीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम लालगंज तहसील नैनवां जिला बून्दी ।
2. शोजी पुत्र ओंकार जाति धाकड निवासी ग्राम लालगंज तहसील नैनवां जिला बून्दी ।
3. आशाराम पुत्र जंशी जाति मीणा निवासी ग्राम बंजारी बावडी तहसील नैनवां जिला बून्दी ।
4. भूमिधारी तहसीलदार तहसील नैनवां जिला बून्दी।

––प्रत्यार्थीगण

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 251 ए आर.टी एक्ट

उपस्थितिः–

पक्षकार प्रार्थिया व प्रत्यार्थीगण ।

निर्णय दिनांक 02.10.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम बडी पडाप पटवार हल्का रजलावता तहसील नैनवां के प्रार्थिया के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा सं. 1284 / 883 रकबा 1.3834 हेक्टेयरव प्रत्यार्थीगण 1 लगायत 2 के संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 882 रकबा 1.8688 हे0 तथा प्रत्यार्थीगण 3 के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा सं0 884 रकबा 1.8364 हे0 भूमि स्थित है। यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित प्रार्थिया की कृषि भूमि में काश्त करने के लिए राजकीय सिवायचक भूमि खसरा संख्या 875 में बनी हुयी पक्की सडक पर होकर खसरा संख्या 882 और 884 के बीच की मेर के दोनों तरफ होकर आती जाती है । इस रास्ते को परिशिष्ट क में अ बिन्दू से ब बिन्दू तक मेर के दानों तरफ लाईनों से दिखाया गया है। यह कि अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 ने चरण संख्या 2 व 3 में वर्णित कृषि भूमियों की पश्चिमी मेर पर उत्तर–दक्षिण चीरें गाडकर तारबंधी कर दी है। इससे प्रार्थिया का अपनी कुषि भूमि पर आना जाना खेती काश्त करना मुश्किल हो गया है। यह प्रार्थना पत्र का कारण है। अतः प्रार्थिया को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थिया अपनी खातेदारी की व कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 1284 / 883 पर आने जाने व कृषि उपकरण लाने ले जाने के लिए व काश्त करने के लिए खसरा संख्या 875 में बनी हुई पक्की सडक से पूर्वी ओर खसरा संख्या 882 व 884 के बीच की मेर पर होकर दोनों साइड में पश्चिम से पूरव 11 फीट का चौडा रास्ता, जिसे परिशिष्ट क में अ बिन्दू से ब बिन्दू तक लाल लाईनों से दर्शाया गया है, राजस्व नक्शे व राजस्व रिकॉर्ड में तथा मौके पर कायम करवायें एवं अप्रार्थीगण के विरूद्व इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाये की अप्रार्थीगण प्रार्थिया के रास्ते को अवरूद्व नहीं करें, सुखाधिकार में कोई हस्तक्षेप न तो स्वयं करें न ऐसा किसी अन्य से करवायें। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में परिशिष्ट क, नकल जमाबंदी, नकल नक्शा ट्रेस तथा शपथ–पत्र आदि पेश किये।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जवाब / रिपोर्ट तलब किया गया। तहसीलदार नैनवॉं की रास्ते की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बडी पडाप पटवार हल्का रजलावता तहसील नैनवां के प्रार्थिया की कृषि भूमि खसरा सं. 1284 / 883 पर पहुंचने के लिए मुताबिक रिकॉर्ड कोई भी रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने के कारण खसरा संख्या 874 गे0 मु0 रास्ता से खसरा संख्या 878 व खसरा संख्या 879 में से गुजरते है, यह प्रचलित रास्ता है।

Reader/Decesion/2021

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.13 15:50:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

...लित रास्ता अनुसार खसरा संख्या 878 में से रास्ता उपलब्ध कराने पर 73*2 गटठा व खसरा ... में से 226*2 गटठा अर्थात 01 बिघा 07 बिस्वा भूमि उपयोग में आयेगी जिसे परिशिष्ट "अ" में हरी ...से अंकित किया गया है। यह है कि इसके अलावा प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता खसरा संख्या 882 में ...*1 गटठा व खसरा संख्या 884 में से 68*1 गटठा तथा खसरा संख्या 875 में से 4*2 गटठा अर्थात 08 ...स्वा भूमि उपयोग में आयेगी जिसे परिशिष्ट "अ" में लाल स्याही से अंकित किया गया है।

हमने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेजव रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया तथा प्रार्थना पत्र में बहस सुनी गयी। प्रार्थिया को रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तहसीलदार नैनवां ने भी अपने जवाब/रिपोर्ट में प्रार्थिया को प्रचलित रास्ता नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ता दिया जाना उचित बताया है। ग्राम बडी पडाप पटवार हल्का रजलावता तहसील नैंनवां की कृषि भूमि खसरा सं 1284/883 रकबा 1.3834 हेक्टेयरपर आने जाने तथा ट्रेक्टर–ट्रोली आदि लाने ले जाने हेतु परिशिष्ट "अ" में प्रचलित रास्ता व नक्शा ट्रेस में हरी स्याही दर्शाये गए रास्ते पर बिन्दु A से B तक जो रास्ता दर्शाया गया है के अनुसार 2 गठ्ठा चौडा रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। रास्ते के उपयोग में आने वाली भूमि की कीमत का नियमानुसार प्रतिकर राजकोष में जमा होने के उपरान्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किया जावे । नक्शा परिशिष्ठ को परिशिष्ठ 'अ' नाम दिया गया है जो न्यायालय निर्णय का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार नैनवां को आदेशित किया जाता है कि मौके पर रास्ता बहाल कर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शे में दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 02.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)

उपखण्ड़ अधिकारी
नैनवा

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.13 15:30:06 IST
Reason: SelfAttested